POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2018-20 (RNI. REG. NO 39658/1983) # ग्रा.ग./2020/अंक 01

मासिक प्रेषण दि. 8 जनवरी, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

प्रकाशन की तिथि : 01 जनवरी, 2020 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम !

देश में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लघु, कुटीर व मध्यम स्तर के उद्यमियों को सस्ती दर पर बैंकों के माध्यम से बिना गारंटी 10 लाख रुपए तक के कर्ज मुहैया कराए जाते हैं।

'ग्राम गदर' परिवार की ओर से सभी पाठकों और ग्रामीण भाई-बहिनों को नव वर्ष की हार्दिक शुभ कामनाएं।

गारंटी नहीं होने से अधिकतर लोग कर्ज लेने के बाद उसका पुनर्भुगतान नहीं कर रहे। नतीजतन यह समस्या बैंकों के 'गले की फांस' बनती जा रही है। कर्ज लेने में बहुत से मामले धोखाधड़ी के भी सामने आ रहे हैं।

हमारे देश में यह सबसे बड़ी विडम्बना है कि सरकारें बहुत सी ऐसी महत्वाकांक्षी योजनाएं बनाती हैं, जो आमजन और देश के विकास में 'मील का पत्थर' साबित हो सकती हैं। लेकिन सही क्रियान्वयन एवं उचित निगरानी नहीं होने से कई सार्थक योजनाओं का बीच में ही दम टूटने लगता है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का खास मकसद देश में छोटे और मध्यम स्तर के उद्योगों का विकास करना एवं नए और छोटे कारोबारियों को कर्ज उपलब्ध कराकर सक्षम बनाना है। इससे असंगठित क्षेत्र में हर साल लाखों रोजगार सृजित किए जा सकते हैं। हम इस योजना को दम तोड़ते नहीं देखना चाहते। क्योंकि, यह योजना कमजोर वर्ग के आर्थिक उत्थान के लिए बहुत अच्छी मानी गई है।

योजना में बदलाव के लिए कुछ ऐसे सकारात्मक कदम उठाए जाने चाहिए, जिससे देश के ग्रामीण क्षेत्रों तक योजना अपने मकसद को पूरा करने में खरी साबित हो सके। असली जरूरतमंद ही इसका फायदा उठा पाएं व समय पर कर्ज की वसूली हो सके।

किसानों को नकली बीज बेचना भारी पड़ेगा

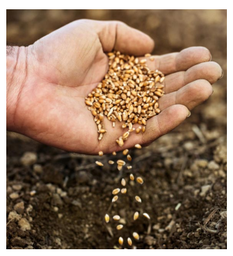

केंद्र सरकार ने मौजूदा बीज अधिनियम 1966 को बदल कर नया बीज कानून बनाने के मकसद से बीज विधेयक 2019 का मसौदा तैयार किया है। माना जा रहा है कि सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में इसे संसद में पेश कर सकती है। इस विधेयक का मकसद किसानों को बेचे जाने वाले बीज की गुणवत्ता का विनियमन करना और अच्छी गुणवत्ता के बीज का आयात-निर्यात करने और देश में गुणवत्तापूर्ण बीजों के उत्पादन और आपूर्ति को सुगम बनाना है।

विधेयक के मसौदे के अध्याय-8 में अपराध एवं सजा शीर्षक के तहत शामिल प्रावधानों के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति किसी बीज के आनुवांशिक शुद्धता मानक के संबंध में गलत जानकारी देता है या गलत ब्रांड बताता है अथवा किसी नकली बीज या नकली ट्रांसजेनिक वेरायटी के बीज की आपूर्ति करता है या बिना पंजीकृत कोई बीज बेचता है तो उसे एक साल की जेल की सजा या पांच लाख रुपए तक जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है।

विधेयक में बगैर पंजीयन प्रमाण पत्र के किसी भी प्रकार का बीज आयात-निर्यात करने, भंडारण करने व बेचने या बीज प्रमाणन एजेंसी, बीज गुणवत्ता जांच अधिकारी या बीज विश्लेषक के कार्य में बाधा डालता है, के बारे में कानूनी रूप से दण्डित करने के प्रावधान हैं।

डिग्री यूनानी, इलाज किया एलोपैथी से, अब देना होगा हर्जाना

जिला उपभोक्ता मंच जयपुर (तृतीय) में हीरालाल ने रामगढ़ मोड़ स्थित जेडबीएम हॉस्पिटल व डॉ.अहसामुद्दीन के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया। परिवाद में उन्होंने बताया कि 2005 में उनकी पत्नी की तबियत खराब हुई तो उक्त हॉस्पिटल में डॉ.अहसामुद्दीन को दिखाया तो गोलियां, इंजेक्शन दिए गए व ग्लूकोज चढ़ाकर रात भर भर्ती रखा। जब तबियत ज्यादा खराब हुई तो अन्य चिकित्सक को दिखाने को कहा और इलाज के कागजात भी नहीं दिए। उसी समय उन्होंने पत्नी को एसएमएस में भर्ती करवाया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। अनुसंधान के दौरान मृतका की एफएसएल रिपोर्ट में जहरीले अवयव पाए गए। पुलिस ने यह भी पाया कि

डॉ.अहसामुद्दीन यूनानी डिग्री (बीयूएमएस) धारक चिकित्सक है और वह पॉइजन के केस में एलोपैथी ईलाज करने के लिए अधिकृत नहीं है।

मामले की सुनवाई पर उपभोक्ता मंच ने जेडबीएम हॉस्पिटल व डॉ.अहसामुद्दीन को अनुचित व्यापार प्रथा का दोषी माना और 4 लाख 25 हजार रुपए का हर्जाना अदा करने का आदेश दिया है। मंच ने फैसले में कहा कि अगर डॉ.अहसामुद्दीन परिवादी की पत्नी का सामान्य उपचार कर उसे तत्काल रेफर कर देता तो उसकी जान बच सकती थी। यूनानी चिकित्सक होते हुए पॉइजन के केस में उसने एलोपैथी पद्धति से ईलाज किया जो अनुचित व्यापार प्रथा व सेवादोष की श्रेणी में है।

घातक है कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग

आमदनी बढ़ाने के लिए कई किसान कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं जो कि मानव स्वास्थ्य के लिए घातक है। इससे भूमि पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। कैंसर और गुर्दे से जुड़े रोगों सहित कई बीमारियां पांव पसार रही है।

दुर्गापुरा स्थित राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान में अखिल भारतीय पीड़कनाशी अवशेष नेटवर्क परियोजना कार्यशाला में किसानों को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री लालचन्द कटारिया ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि किसानों को अब जैविक एवं परम्परागत खेती पर ध्यान देना होगा। इसी से पर्यावरण, मानव एवं मृदा स्वास्थ्य में सुधार होगा। कृषि गुणवत्ता युक्त होगी तो किसानों की आय में इजाफा हो सकेगा।

हर जिले में होगा महात्मा गांधी आदर्श ग्राम

राज्य सरकार प्रदेश के सभी जिलों में एक महात्मा गांधी आदर्श गांव चुनकर वहां पांच साल तक कार्य करेगी। इसके लिए ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है।

आदर्श ग्राम में गांधीवादी जीवन मूल्यों के अनुसरण और विभिन्न विकास योजनाओं के आधार पर समुदाय के सहयोग से विकास कार्य किए जाएंगे। विभाग ने इसकी जिम्मेदारी जिला कलेक्टर्स, संभागीय आयुक्त और जिला परिषद सीईओ को सौंपी है। सबसे पहले जिला कलेक्टर ऐसा गांव चुनेंगे जहां सामुदायिक सहयोग के अनुकूल वातावरण उपलब्ध होगा। इसके बाद ग्रामसभा का आयोजन कर विकास के लिए 17 सूत्रीय कार्यक्रम चलाया जाएगा।

गांव-ढाणी तक साकार हो सुशासन

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट घोषणाओं, योजनाओं तथा कार्यक्रमों की समयबद्ध क्रियान्विति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बजट घोषणाएं समय पर पूरी हो ताकि इनका लाभ आमजन को मिल सके। संवेदनशील, पारदर्शी, जवाबदेह प्रशासन देना हमारी जिम्मेदारी है। सरकार की यह भावना निचले स्तर तक पहुंचनी चाहिए।

उन्होंने कहा सरकार की सेवाओं की डिलीवरी गांव-ढाणी तक पहुंचे और इसकी गहनता से निगरानी हो। गहलोत ने यह निर्देश वित्त वर्ष 2019-20 की बजट घोषणाओं की क्रियान्विति की समीक्षा करते समय दिए।

देश के ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ी गरीबी

देश में 2011-12 और 2017-18 के बीच ग्रामीण गरीबी में लगभग 4 परसेंटेज पॉइंट्स की वृद्धि हुई है। जबकि शहरी गरीबी करीब 5 परसेंटेज पॉइंट्स कम हुई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की रिपोर्ट के आंकड़ों के विश्लेषण से यह बात सामने आई है।

ग्रामीण आबादी की अधिकता को देखते हुए अनुमानित समग्र गरीबी दर 2017-18 में लगभग एक परसेंटेज पॉइंट्स बढ़कर करीब 23 प्रतिशत हो गई है। यानी तीन करोड़ लोग भारत की अधिकाधिक गरीबी रेखा से नीचे आ गए और पिछले आधे दशक में गरीबी की श्रेणी में शामिल हो गए। रिपोर्ट के अनुसार देश के किसी राज्य में गरीबी बढ़ गई तो किसी में घट गई।

मुनगे पाउडर से बने ब्रेड समोसा लड्डू

छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए ग्रामीण महिलाओं ने प्रशासन की मदद से अनूठी पहल की है। करीब 125 से ज्यादा महिलाएं मुनगा (सहजन, मोरिंगा) पाउडर से ब्रेड, टोस्ट, समोसा, कुकीज व लड्डू बना रही हैं। यह आहार आंगनबाड़ियों में बच्चों को दिया जा रहा है। असर यह हुआ है कि महज 3 महीने में 3 से 6 साल उम्र के 1226 बच्चे कुपोषण से बाहर आ गए हैं।

मुनगे की खेती, उपज सुखाने, पाउडर तैयार करने व उत्पाद बनाने का काम 126 ऐसी महिलाएं संभाल रही हैं, जो विधवा व आर्थिक रूप से कमजोर हैं। अब मुनगा पाउडर की मांग इतनी तेजी से बढ़ी है कि तीन माह में ही इन महिलाओं को 15 लाख रुपए का व्यवसाय मिल गया। देश की बड़ी आयुर्वेद दवा कंपनियों ने भी इनसे संपर्क किया है। सूरजपुर के कलेक्टर दीपक सोनी ने बताया कि मुनगे में उपलब्ध विटामिन, आयरन, प्रोटीन और फाइबर की वजह से विशेषज्ञों ने इसके इस्तेमाल की योजना बनाई।

किसान करवाएं खेत की मिट्टी की जांच

किसान मिट्टी की जांच कराए बिना अधिक पैदावार के लिए अंधाधुंध यूरिया, डीएपी, रसायन युक्त खाद और तीव्र कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं। इससे खेती की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। मिट्टी में पोषक तत्वों का संतुलन बिगड़ जाता और जमीन बंजर हो जाती है।

हाल ही प्रदेश के सीकर जिले में मृदा विश्लेषण जांच रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है। कृषि विशेषज्ञों की राय है कि किसानों को अपने खेत की मिट्टी की समय-समय पर जांच करवानी चाहिए। इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति का पता चल सकेगा। मिट्टी की जांच के बाद किसानों को जैविक खाद का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए।

डकार गए किसानों की सम्मान निधि

प्रदेश में कर्जमाफी योजना में गलत जानकारी देकर सरकारी कर्मचारियों के लाभ उठाने के मामले के बाद अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में भी गड़बड़ी सामने आने लगी है। इस योजना में भी सरकारी कर्मचारी और अन्य पदों पर बैठे लोगों ने अपनी जानकारी छिपाते हुए लाभ उठा लिया।

अब केंद्र सरकार ने सभी राज्यों में सैम्पल सर्वे करने के निर्देश दिए है। इसके तहत राज्य में पांच प्रतिशत आवेदनों की जांच की जाएगी। गड़बड़ी पाए जाने पर किसान बने लाभार्थियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस योजना के तहत किसानों को साल में छह हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है।

जान के दुश्मन, मिलावटखोर

प्रदेश में मिलावटखोर लोगों की जान के दुश्मन बन रहे हैं। जब भी मिलावट के खिलाफ सरकारी अभियान चलता है तब हर खाद्य वस्तु में मिलावट सामने आती है। मिलावटखोर पकड़े भी जाते हैं। अखबारों में भी खूब छपता है। लेकिन इनमें से आज तक किसी को भी ऐसी सख्त सजा नहीं हुई जो एक नजीर बन सके।

पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने इस पर चिंता जाहिर कर मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और फांसी की सजा का प्रावधान करने तक की बात कही है। कहा जा रहा है, इसके लिए सख्त कानून बनाया जा रहा है। आशा है, मुख्यमंत्री स्वयं पहल कर इस दिशा में आगे बढ़ेंगे।

राम स्वरूप सोनी, जयपुर

भ्रष्टाचार में राजस्थान पहले नंबर पर

यह बहुत ही शर्मनाक स्थिति है कि भ्रष्टाचार के पैमाने पर देश के राज्यों में राजस्थान पहले नंबर पर है। ट्रांसपेरेन्सी इंटरनेशनल के करप्शन सर्वे 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार दूसरे नंबर पर है। झारखंड और उत्तर प्रदेश क्रमशः तीसरे व चौथे स्थान पर है। केरल में रिश्वतखोरी सबसे कम है।

यह सर्वे अक्टूबर 2018 से नवम्बर 2019 के दौरान 20 राज्यों के 248 जिलों से ली गई प्रतिक्रियाओं पर आधारित है। प्राप्त प्रतिक्रियाओं में से राजस्थान में 78 फीसदी लोगों ने माना कि उन्हें अपने काम को पूरा करवाने के लिए रिश्वत देनी पड़ी। बिहार में 75 फीसदी ने माना कि उन्होंने कभी ना कभी रिश्वत दी है।

प्रदेश के सांसदों ने नहीं लिए गांव गोद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुरू की गई सांसद आदर्श गांव योजना में सांसदों का रुझान घटता दिख रहा है। वित्तीय वर्ष के आठ महीने बीतने के बाद भी राजस्थान में लोकसभा और राज्यसभा के 35 सांसदों में से मात्र 17 सांसदों ने ही गांव गोद लेने की जानकारी दी है।

ग्रामीण विकास विभाग की अधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में 25 लोकसभा सांसदों में से अब तक 14 और राज्यसभा के 10 में से केवल 3 सांसदों ने विभिन्न जिलों में ग्राम पंचायतें गोद ली है। पूरे देश की सूरत देखें तो भी नवंबर माह तक केंद्र सरकार के पोर्टल पर लोकसभा के 545 सांसदों में से 173 ने और राज्यसभा के 245 में से 37 सांसदों ने ही गांवों का चयन किया है।

विद्युत उपभोक्ता क्षमता निर्माण परियोजना का दूसरा चरण

जैसा कि 'ग्राम गदर' 2019 के छठवें अंक में 'विद्युत उपभोक्ता क्षमता निर्माण' (सीबीईसी) परियोजना के शुभारम्भ के बारे में जानकारी दी गई थी। दिनांक एक अक्टूबर 2019 को इस परियोजना के दूसरे चरण की शुरुआत हुई। इस परियोजना का संचालन 'कट्स' इंटरनेशनल और बास्क रिसर्च फाउंडेशन द्वारा शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन के सहयोग से किया जा रहा है।

परियोजना के तहत राजस्थान की छह पंचायत समितियों में स्थानीय संस्थाओं की मदद से 'ग्राहक सहायता केंद्र' (कोनास्क) की स्थापना की गई है। जहां सवाई माधोपुर और बोली कोनास्क 'कंज्यूमर लीगल हेल्प सोसायटी' द्वारा चलाए जा रहे हैं, वहीं चित्तौड़गढ़ और भदेसर कोनास्क को 'कट्स मानव विकास केंद्र' की मदद से चलाया जा रहा है। 'डेसर्ट रिसोर्स सेंटर' और 'सामाजिक विकास समिति' ने क्रमशः बज्जू और धौलपुर कोनास्क चलाने का बीड़ा उठाया है। इन ग्राहक सुविधा केंद्रों का उद्देश्य उपभोक्ताओं के बीच शिकायत निवारण व्यवस्था और बिजली के अन्य मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाना, शिकायत निवारण में सहयोग देना और विद्युत शासन और उपभोक्ताओं के बीच में सकारात्मक सम्बन्ध स्थापित करना है। इन सहायता केंद्रों पर नीचे दिए गए फोन नम्बर्स द्वारा संपर्क स्थापित किया जा सकता है।

चित्तौड़गढ़ - 9928468098, 9829285938, भदेसर - 9799244569, बोली - 9667025347
सवाई माधोपुर - 8994888787, 9950161423, बज्जू - कोलायत - 9602407123, धौलपुर - 9462924085

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कट्स' जयपुर